(वाद सं0–2003/4/39/2019)

12.08.2021

परिवादी, बृज बिहारी सिंह, अनुपस्थित हैं।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, बृज बिहारी सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, समस्तीपुर के दिनांक–31.10.2018 को सेवानिवृत्त हो जाने के एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में भवन निर्माण विभाग द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि ‘‘श्री बृज बिहारी सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग दिनांक–31.10.2018 को भवन प्रमंडल, समस्तीपुर, भवन निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त हुये है। उनके पेंशनादि की स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक–1595 दिनांक–12.10.2018 द्वारा दो प्रति में पेंशन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया था, परन्तु पेंशन प्रपत्र के साथ अन्य वांछित कागजात यथा दीर्घकालीन अग्रिमों से संबंधित बाकी/बेबाकी प्रमाण पत्र, कार्यालय से संबंधित बाकी/बेबाकी प्रमाण पत्र एवं आवास किराया रहित प्रमाण पत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–11536, दिनांक–19.11.2018 द्वारा कार्यपालक अभियंता को लिखा गया एवं स्मारित भी किया गया पुलिस के आलोक में कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–204, दिनांक–25.01.2019 द्वारा उक्त कागजात उपलब्ध कराया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय अधि0 सं0–9501, दिनांक–26.09.2016 द्वारा तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड संसूचित किया गया था जो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होने के कारण दंड संशोधन हेतु आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी करने के उपरांत विभागीय पत्रांक–11171, दिनांक–24.12.2019 के द्वारा श्री सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को 100प्रतिशत औपबंधिक पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति प्रदान करते हुए पेंशन प्रपत्र एवं वांछित कागजात महालेखाकार, बिहार को भेजा जा चुका है।’’

अब, जबकि परिवादी के द्वारा समर्पित पेंशन प्रपत्र एवं अन्य वांछित कागजात को नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना को भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के द्वारा अग्रसारित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में इस सम्बन्ध में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कोई आदेश/निर्देश दिये जाने कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के प्रतिवेदन (पृ0–16–15/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक